<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>12/12/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने **महादेव ऑनलाइन बुक केस** के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गोविंद कुमार केडिया को 06.12.2024 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने गोविंद कुमार केडिया को 12.12.2024 तक ईडी की हिरासत भेज दिया।

ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक ऐप और अन्य के खिलाफ भारत भर के विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज/दायर विभिन्न एफआईआर और आरोपपत्रों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप और इसकी सहयोगी संस्थाएं जैसे स्काईएक्सचेंज, लोटस 365 आदि, जो एक व्यापक(अंबरेला) सिंडिकेट हैं, अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं के नामांकन हेतु, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब और हवाला ऑपरेटरों के उपयोग के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) को वैध बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कर रहे हैं।

गोविंद कुमार केडिया कोलकाता में स्थित एक सब-ब्रोकर है और उसने अपनी संस्थाओं और अन्य लोगों की मदद से महादेव ऐप के प्रमोटरों और अन्य आरोपी व्यक्तियों को पीओसी के निवेश को शुरू करने, निवेश करने और उस पर मुनाफा कमाने में जानबूझकर मदद की। इससे पहले, ईडी ने गोविंद केडिया की संस्थाओं और आवासीय परिसरों पर तलाशी ली थी और गोविंद केडिया, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी संस्थाओं द्वारा भारतीय शेयर बाजार में किए गए 197 करोड़ रुपये के निवेश को फ्रीज कर दिया था।

गोविंद केडिया से पहले इस मामले में ईडी ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 100 से अधिक तलाशी ली है, चार अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं, कुल 530 करोड़ रुपये के तीन प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए हैं, 19.36 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है, 16.68 करोड़ रुपये के कीमती सामान जब्त किए हैं और 1729.17 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की है। इस मामले में ईडी द्वारा अब तक कुर्क/फ्रीज/जब्त चल एवं अचल संपत्तियों का कुल मूल्य 2295 करोड़ रुपये (लगभग) है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।